Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA).

[Land Dispute Appeal Case No.- 35/2023]

Sakaldeo Roy & Others...Appellant

Versus

Abhimanyu Roy & Others ....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4

30.1.2026

आदेश

यह अपील वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिमरी बख्तियारपुर द्वारा बी.एल.डी.आर. वाद संख्या-37/2013-14 में दिनांक-28.12.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षीगण की ओर जवाब दाखिल है। LCR प्राप्त है।

प्रश्नगत जमीन का विवरण निम्न है :-

अंचल	मौजा	खाता पु0	खेसरा पु0	खेसरा नया	रकवा
सिमरी बख्तियारपुर	बघवा	97, 98	870, 879, 904	1568	24 डी.

दिनांक-10.1.2026 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षीगण का जवाब Reply/ Rejoinder में अंकित है।

अपीलार्थी का कहना है कि प्रश्नगत जमीन वादी एवं प्रतिवादी का खतियानी जमीन है। जिस पर वादी एवं प्रतिवादी के पूर्वज श्री कृष्ण बल्लभ राय, श्री शिव शंकर राय एवं श्री बैद्यनाथ राय तीनों भाई संयुक्त रूप से हकदार व दखलकार रहते आये हैं। अपीलार्थीगण का कहना है कि प्रश्नगत जमीन का रकवा 24 डी. है। तदनुसार तीनों भाई को एक तिहाई हिस्सा (8 डी.) होना चाहिए। विपक्षीगण का कहना है कि सरजमीन व नक्शा के अनुसार प्रश्नगत जमीन का रकवा मात्र 20 डी. है। जिसके आधार पर वर्ष 1982 में बंटवारा के बाद 6.737 डी. जमीन तीनों भाई को प्राप्त हुआ।

उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागाजातों-वाद पत्र, Reply/ Rejoinder आदि तथा LCR के अवलोकन से यह परिलक्षित है कि उभय पक्ष प्रश्नगत जमीन के खतियानी रैयत के वंशज हैं। तथा उनके बीच प्रश्नगत जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद है। संयुक्त खानदानी जमीन में से किसी वारिसान के अंश/हिस्सा का निर्धारण Indian Succession Act. के प्रावधानों के अनुसार ही हो सकता है।

निम्न न्यायालय के स्तर से उभय पक्ष के अभिकथन के संबंध में संगत तथ्यों की विवेचना करते हुए यथोचित Findings के आधार पर आदेश पारित किया गया है। निम्न न्यायालय का आदेश विधिसम्मत है। अतः तदनुसार इस अपील वाद को खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें।

30/1/2026.
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

लेखापित एवं शुद्धित।

30/1/2026.
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।